Witness No. Description Sheet No.\_\_\_

> उवत आतेशिकाएं शाना प्रभागी गोइंद को पन की बारा 147, 294, 323/149, 325/149 सा.ट.स. का शमन करने हेतु संक्षम पक्षकार है। उनकी पहचान श्री

15/11/16

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। महिप्र एडिजकी ही किन्छ आरोपीगण भारत सिंह, अहिवरन एवं दीपराज सहित एवं सोनू एवं मोनू की ओर से श्री संजय सिंह गुर्जर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर स्वयं का अभिभाषक पत्रक

प्रस्तृत किया।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। विक साह कार्यी आरोपीगण सोनू एवं मोनू की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया। एक कि किएमर पर

इसी प्रास्थिति पर आहतगण/फरियादी तथा आरोपीगण ने उपस्थित होकर उनके मध्य राजीनामे की वर्चा हेतू प्रकरण मीडिएशन के लिए रैफर किये जाने का निवेदन अभिय्वतःगण के विरुद्ध अभियोजित की घारा 147, 294, किया।

निवेदन सद्भावी प्रतीत होने से विचारोपरात स्वीकार

प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर श्री ए.के.गुप्ता को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेषित किया जाये विषय निर्मा कि कि अपन अपन १४१ \ ०८८

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु कुछ समय निर्णाधि पेश हो। विकास विकास विकास कि कि समय आमयुवतगण का ज्यास्थात सबद्यी प्रतिमृति पांत एर्ग का क्वापन मारमुवत किये की है। जमानतवार को स्वतंत्र

जे.एम.एक.सी. मोहद । है काल एक

तिर्मा में विश्व पुरम्कारियकार्णाण्यान्, अहिवरन एवं पक्षकार पूर्ववता। निरुष्ट्रिम शिह्न विकला में कहा मार्थ होंगे कारी

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य शमन कार्यवाही करने हेतु सहमति बन गई है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी जगदीश पुत्र पहलवान सिंह, एवं गंधर्व पुत्र जगदीश सिंह, निवासी-ग्राम अंतरसोहा ने उनके अधिवक्ता श्री बी.एस.गुर्जर के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तृत किया।

फरियादी / आवेदक जगदीश एवं गधर्व ने उसके अधिवक्ता श्री बी.एस.गुर्जर के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 147, 294, 323 / 149, 325 / 149 मा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी जगदीश एवं गधर्व अभियोजित अपराध GRPGत्रेण उन्नज्याका 2-7,2-129400.0028 / 149, 325 / 149 भा द स का

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम-श्रणी लोहद जिला-मिण्ड (म.प्र.)

फरियादी जगदीश एवं गधर्व अभियोजित अपराध की धारा 147, 294, 323/149, 325/149 भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उनकी पहचान श्री बी.एस.गुर्जर अधिवक्ता द्वारा की है। आहतगण की पहचान उनके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी / आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सूना गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अमियुक्तगण के विरूद्ध अमियोजित की धारा 147, 294, 323 / 149, 325 / 149 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्तगण को भा द सं की धारा 147, 294, 323 / 149, 325 / 149 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है। जाएक हाइप्रशीक प्रमाह

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में आरोपीगण दीपराज, सोनू, अहिवरन एवं भारत सिंह से जब्तशुदा एक-एक लाठी मूल्यहीन होने से नष्टकर व्ययनित की जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

जे एम एफ सी गोहद

कार्य के विवाद स्थायिक सिंजरहेट स्थाय-श्रेणी विविधित है। एकार्य कार्याप्रक पोरंडर, जिला-सिंग्ड (स.प.) विवाद कार्याप्रकार